भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश
राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र.
सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड), जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की समीक्षा बैठक
दिनांक 30.06.11
कार्यवाही विवरण

भारत स्काउट एवं गाइड मध्यप्रदेश के संभागीय व जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक दिनांक **30 जून 2011** को राज्य प्रशिक्षण केन्द्र, गांधीनगर, भोपाल में आयोजित हुई । बैठक में राज्य मुख्यालय के निम्न पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा की गई–

01.	श्री प्रकाश दिसौरिया	राज्य सचिव
02.	डॉ0 आर.एस.तिवारी	विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी
03.	श्रीमती अनिता अंकुलनेरकर,	संयुक्त सचिव
04.	डॉ0 बलवान सिंह	परियोजना संचालक
05.	श्री डी.पी. मिश्रा	एस.ओ.सी. स्काउट
06.	श्रीमती चन्द्रकांता उपाध्याय	एस.ओ.सी. गाइड

सामान्य निर्देशों के पालन पर चर्चा :–

बैठक प्रारंभ करते हुये विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने निर्देश प्रदान किये कि :–

1. वर्ष 2009 से निरंतर योजना पर कार्य कर रहे हैं लेकिन उपलब्धियाँ संतोषजनक नहीं हैं इसलिए वर्ष 2011–12 के तय लक्ष्यों की पूर्ति की प्रतिमाह समीक्षा होगी । इसलिये तय निर्धारित लक्ष्यों का क्रियान्वयन भी होना चाहिये ।
2. जो पाँच बिंदु तैयार किये हैं या वार्षिक कार्ययोजना तैयार की है उसकी प्रतिदिन रिपोर्ट डी.ओ.सी., ए.एस.ओ.सी. को तथा ए.एस.ओ.सी., एस.ओ.सी. (स्काउट–गाइड) को देवें ।
3. पत्र जारी करना पर्याप्त नहीं है इसके परिणाम की प्रतिमाह समीक्षा राज्य मुख्यालय के साथ ए.एस.ओ.सी भी करें एवं अवगत कराया जावे ।
4. राज्य मुख्यालय से भेजे गये पत्रों पर कार्यवाही नहीं की जाती है, बार–2 स्मरण पत्र भेजना पड़ता है । यदि कोई दिक्कत है तो निःसंकोच दूरभाष पर पूछ सकते हैं । लेकिन कृत कार्यवाही से राज्य मुख्यालय को समय सीमा में अवगत कराया जावे ।
5. राज्य मुख्यालय द्वारा मोबाईल हेतु सिम प्रदान की गई है । अक्सर कुछ संगठन अधिकारियों का मोबाईल स्विच आफ मिलता है अतः निर्देशित किया जाता है कि सभी डी.ओ.सी., ए.एस.ओ.सी. को तथा ए.एस.ओ.सी., एस.ओ.सी. को प्रतिदिन अपनी उपस्थिति से अवगत करावेंगे। यदि मोबाईल बंद पाया जाता है या उत्तर अप्राप्त रहता है तो अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी ।

बिन्दु कमांक 01:– दल गठन अभियान :–

- ए.एस.ओ.सी.–जबलपुर ने अवगत कराया कि उन्होंने राज्य मुख्यालय से निर्देश प्राप्त होते ही सभी डी.ओ.सी. को सूचित किया था एवं संयुक्त संचालक एवं जिला शिक्षा अधिकारी से भी चर्चा की है । सिवनी, कटनी, छिंदवाड़ा, मंडला की सूची भेजी गई है । जबलपुर, नरसिंहपुर की नहीं भेजी है । एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि सूची में कुछ कमियाँ थी जिन्हें सही कर भेजने के निर्देश दिये गये थे जो अप्राप्त है । जबलपुर की 04 जिलों की लिस्ट बाकी रही है जिसे 07 दिवस में भेजने के निर्देश दिये गये ।
- रीवा, शहडोल संभाग ने अवगत कराया कि उन्होंने सूचियाँ भेज दी है ।
- ए.एस.ओ.सी. होशंगाबाद, डी.ओ.सी.–धार ने सूची नहीं भेजी थी उन्होंने 05 जुलाई तक भेजे जाने की स्वीकृति दी गई ।
- भोपाल संभाग के ए.एस.ओ.सी. ने अवगत कराया कि सीहोर जिले की सूची राज्य मुख्यालय में भेज दी गई है तथा राजगढ़ की संभागीय कार्यालय को ई–मेल से प्राप्त हुई है उसे करेक्ट कर राज्य मुख्यालय को भेजा जावेगा ।
- ए.एस.ओ.सी. ग्वालियर – शिवपुरी व दतिया की सूची भेजना शेष है जो दो दिनों में भेज दी जावेगी ।
- डी.ओ.सी. छिंदवाड़ा ने विकासात्मक संख्या बताई जो संतोषजनक रही ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

- मुरैना – भिंड की सूची प्राप्त न होने पर नाराजगी व्यक्त की गई एवं सूची शीघ्र भेजने के निर्देश दिये गये ।
- ए.एस.ओ.सी. सागर – दो जिलो से अप्राप्त है ।
- उज्जैन संभाग से दो जिलों की सूची प्राप्त हुई शेष 04 जिलों की सूची प्राप्त होना है समय सीमा 25 जून थी जिसे 05 जुलाई तक भेजने का ए.एस.ओ.सी. ने कहा ।
  कुल 22 जिलों की जानकारी प्राप्त हुई । 28 जिलों की जानकारी अप्राप्त है ।

निर्णयः– सभी सहायक राज्य संगठन आयुक्त 07 दिवस के अंदर 20 जिलों की सूची अनिवार्यतः भेजें ।

- विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने कहा कि **कार्य योजना समयबद्ध कार्यक्रम है** । संभाग के जिला संघ सक्रिय नहीं है **।जिलो को भेजी गई प्रोजेक्ट की राशि की स्थिति विचारणीय है । ए.एस. ओ.सी. अपनी अनुपस्थिति में डी.ओ.सी. को निर्देश दे कार्य करवायें कोई कार्य अनावश्यक पैंडिग न रखे । स्कूलों की जानकारी अपडेट रखे एंव जैसे कितने स्कूल हैं कितने रजिस्टर्ड हैं व कितने रजिस्टर्ड नहीं हैं । संख्यात्मक आँकड़ें सदैव रखे । साथ ही दलों की संख्या भी ज्ञात हो ।**
- डी.ओ.सी. रायसेन के बताये आँकड़ों पर एस.ओ.सी. एस ने निर्देश दिये कि रायसेन में 07–08 वर्ष से नियमित रूप से डी.ओ.सी. है परन्तु दलों का गठन नहीं हो पाया है जो विचारणीय विषय है । अतः यह कार्य युद्धस्तर पर किया जाना आवश्यक है ।
- एस.ओ.सी.–स्काउट ने कहा कि प्राप्त स्कूलों की संख्या की जानकारी शासन की जानकारी से मैच नहीं हो रही है अतः जानकारी सही कर शीघ्र भेजें ।
- **वि.क.अधिकारी** ने कहा कि नये सदस्यों को जोड़ने में कोताही न बरतें । अनेक जिला संघ सक्रिय नहीं है अतः आवश्यक कार्यवाही की जावे । सागर संभाग में सागर, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ में अच्छी टीम है हमें उन्हें जोड़कर प्रयास करना चाहिये । ए.एस.ओ.सी. सागर में रहकर निरंतर संपर्क में रहे ।
- एस.ओ.सी.–स्काउट ने अवगत कराया कि डी.ओ.सी भी निरंतर संपर्क में रहे । मात्र 04–05 डी.ओ.सी. ही संपर्क करते हैं ।

निर्णयः– सभी सहायक राज्य संगठन आयुक्त एवं जिला संगठन आयुक्त को एस.ओ.सी. (एस. /जी. के सपंर्क में रहने के निर्देश दिये गये ।

बिन्दु कमांक 02ः– संयुक्त संचालक के साथ बैठक सम्बन्धी :–

ए.एस.ओ.सी.–जबलपुर ने अवगत कराया कि जुलाई प्रथम सप्ताह में बैठक होगी ।

ए.एस.ओ.सी.–उज्जैन ने अवगत कराया कि 23 जून को प्रयास किया था परन्तु जे.डी. की उपलब्धता नहीं हो सकी । पुनः जुलाई में बैठक होना प्रस्तावित है ।

ए.एस.ओ.सी.–शहडोल ने अवगत कराया कि दिनांक 10 जुलाई को बैठक प्रस्तावित है ।

ए.एस.ओ.सी. होशंगाबाद ने अवगत कराया कि 06 जुलाई को बैठक होना है ।

ए.एस.ओ.सी. इंदौर ने भी बैठक नहीं होने की जानकारी दी। उन्हें ज्वाइनिंग भैंट करने के निर्देश दिये गये ।

ए.एस.ओ.सी. भोपाल, ए.एस.ओ.सी.–ग्वालियर ने 04 जुलाई, ए.एस.ओ.सी.–सागर ने 02 जुलाई को बैठक करने की जानकारी प्रदान की ।

ए.एस.ओ.सी.–रीवा ने बैठक नहीं होने की जानकारी प्रदान की और कहा कि मानव संसाधन की समस्या है ।

- **विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी ने निर्देश दिये कि स्वयं प्रयास करें, अपना कार्यक्रम दिनांक सहित बनावें व एजेंडे के साथ संयुक्त संचालक से चर्चा कर समस्या समाधान करावें । सभी कार्य लिखित में कर निर्णय होने पर पत्र प्रसारित हो ।**

निर्णयः– सभी संभागीय बैठक जुलाई में करने का निर्णय लिया गया ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

बिन्दु कमांक 03 :– <u>संस्था प्रधान बैठक सम्बन्धी</u> :–

जुलाई की कार्यवाही व संस्था प्रधान बैठक के बारे में चर्चा की गई ।

चर्चा में ज्ञात हुआ कि अनेक डी.ओ.सी. को ए.एस.ओ.सी. द्वारा कार्यक्रम का पत्र नहीं भेजा गया ।

निर्देशः– निदेश दिये गये कि बैठक का एजेंडा व पत्र जारी कर आवश्यक कार्यवाही कर रा.मु. को रिपोर्ट भेजे । वेबसाईट पर सर्कुलर देंखें व डाउनलोड करें । अपंजीकृत स्कूलों के शिक्षकों से मिलकर चर्चा करें 15–30 जुलाई तक पंजीयन सम्बन्धी जानकारी का पत्र भिजवा दें । **स्कूल चलों अभियान के दौरान ही सक्रिय शिक्षकों से संपर्क कर दल पंजीयन किया जावें । 15 अगस्त से पूर्व किसी भी स्थिति में दल पंजीयन का लक्ष्य पूर्ण होना चाहिये । इस कार्य में कोई ढील नहीं बरती जावे । संभाग एवं जिलों के प्राचार्यो से संपर्क बनाये रखे**

<u>निर्णयः–</u> जुलाई में वृक्षारोपण, दल पंजीयन, प्राचार्य संगोष्ठी का परिणामोन्मुख कार्य हो ।

बिन्दु कमांक 04 :– <u>वृक्षारोपण</u> :–

माह जून में वृक्षारोपण सम्बन्धी स्थल चयन करने के निर्देश दिये गये थे ।
ए.एस.ओ.सी. होशंगाबाद ने स्थान चयन करने की बैतूल, हरदा, होशंगाबाद की जानकारी प्रदान की । डी.ओ.सी. देवास ने जि.शि.अ.कार्यालय, चन्द्रकेशर बांध स्थल में 1000 पौधे का लक्ष्य की जानकारी प्रदान की । डी.ओ.सी.–उज्जैन ने दिनांक 11 जुलाई के कार्यक्रम हेतु तैयारी बाबत् अवगत कराया । ए.ए.ओ.सी. उज्जैन ने परिपत्र जारी कर दिनांक 30 जून तक जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्देश जारी की सूचना दी । ए.एस.ओ.सी. शहडोल ने स्थल चयन की सूची का वाचन किया । ए.एस.ओ.सी.–रीवा ने अवगत कराया कि एजेडा बनाकर सम्बन्धित को अवगत कराया गया । डी.ओ.सी. सिवनी ने बैठक से वापस जाकर सूची भेजने का कहा । डी.ओ.सी. बालाघाट ने ने 300 पौधे लगवाये जावेंगे की जानकारी प्रदान की । डी.ओ.सी. छिंदवाड़ा ने अनुसूचित बालक आश्रम में पौधे लगवाये जाने की जानकारी प्रस्तुत की ।

<u>निर्णय</u> :– निर्देश दिये गये कि जहाँ वृक्ष लगवाये वहाँ भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र. का बोर्ड लगवाये अथवा लिखवाया जावे । कार्य की गुणवत्ता रखी जावे व वास्तविक पालन प्रतिवेदन भेजा जावे । लगाये गये वृक्षों की जिम्मेदारी लिखित में स्काउटर गाइडर एवं स्काउट/गाइड को दी जावे ।

बिन्दु कमांक 05 :– <u>डाईट शिक्षकों को प्रशिक्षण बाबत्</u> :–

ए.एस.ओ.सी.–ग्वालियर ने अवगत कराया कि डाईट में चर्चा की गई वह प्रशिक्षण लेने हेतु तैयार है ।

ए.एस.ओ.सी.–होशंगाबाद ने कहा कि हरदा व खंडवा डाईट में पत्र भेजा गया व चर्चा की गई ।

ए.एस.ओ.सी.–शडहोल ने अवगत कराया कि उमरिया, शहडोल में डाईट है वहाँ पर चर्चा की गई । कार्यवाही की जा रही है ।

ए.एस.ओ.सी.–उज्जैन ने अवगत कराया कि देवास, उज्जैन की सूची प्राप्त हो गई है शेष जानकारी शीघ्र भेजी जावेगी ।

ए.एस.ओ.सी.–ग्वालियर ने कहा कि दतिया छोड़कर अन्य तीन स्थानों की सूची प्राप्त हो गई है जो शीघ्र ही भेजी जावेगी ।

ए.एस.ओ.सी.–रीवा ने कहा कि डी.ई.ओ. अभी पदस्थ नहीं है सीधी में संपर्क किया जावेगा ।

डी.ओ.सी. धार ने अवगत कराया कि डाइट की सूची भेज दी गई है । संपर्क करने पर प्राचार्य से मुलाकात नहीं हो पाई । पुनः संपर्क किया जावेगा ।

डी.ओ.सी. रायसेन, भोपाल, गुना, अशोकनगर, मुरैना ने लिस्ट जमा करने की जानकारी दी ।

<u>निर्णय</u> :– सम्बन्धित अपने क्षेत्र में संपर्क कर संख्यावार जानकारी से राज्य मुख्यालय को लिखित प्रस्ताव के साथ 30 जुलाई तक अवगत करावें । सभी की सहमति से तय किये गये निर्णयों पर अमल नहीं किया जाता । मासिक प्रतिवेदन में छूटे हुए कार्यक्रम का विवरण नहीं रहता है उसे भी दिया जाना चाहिये ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

बिन्दु कमांक 06 :— <u>पंजीयन, भवन, भंडार</u>
पंजीयन —संभागीय अधिकारियों से पंजीयन के बारे में जानकारी प्राप्त की गई ।

<u>निर्णय</u> :— <u>जिन संभागों/जिलों से पंजीयन नहीं आ पा रहा है वहाँ पर पदस्थ संस्था के संभागीय/जिला अधिकारियों का वेतन आगामी आदेश तक रोका जावे</u> ।

भवन— भवन सम्बन्धी चर्चा के अंतर्गत श्री हरिदत्त शर्मा, संभागीय अधिकारी जबलपुर को मढ़ाताल जबलपुर भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण की जानकारी भेजने के निर्देश दिये गये ।

इंदौर सम्बन्धी भूमि प्रकरण के बारे में श्री व्ही के जैन, सहायक सचिव से जानकारी लेने हेतु श्री धीरज सोनी को निर्देश दिये गये ।

<u>निर्णय</u> :— सभी ए.एस.ओ.सी. एंव डी.ओ.सी. को राज्य मुख्यालय से जानकारी प्राप्त कर आवश्यक कार्यवाही समय सीमा में करने के निर्देश दिये गये । संभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये गये कि संभागीय कार्यालय में संसाधनों से आय प्राप्त करने के उपाय कर संस्था के संभागीय अधिकारियों व जिला अधिकारियों के वेतन की व्यवस्था का प्रयास किया जावे ।

भंडार :— संयुक्त सचिव ने चर्चा करते हुये अवगत कराया कि

1. अनेक स्थानों से राज्य मुख्यालय की लेनदारी अधिक बकाया है जिससे सामग्री नहीं भेजी जा पा रही है । संभाग/जिले शीघ्र समायोजन कर शेष राशि भेजे ।
2. संभागों को उनसे प्राप्ति योग्य स्टिकर की लंबित राशि की जानकारी प्रदान कर 20 जुलाई तक भेजने के निर्देश दिये गये ।
3. पूर्व से प्रयोग में आ रहे केश मेमो बुक, रसीद बुक के स्थान पर नवीन भेजे गये हैं अतः पूर्व के प्रयोग वाले/अप्रयोग को निरस्त कर राज्य मुख्यालय को 10 जुलाई तक भेजे जावें ।
4. जंबूरी के दौरान भेजी गई जर्सी की पावती अनेक संभागों से अप्राप्त है । अतः 20 जुलाई तक पावती भेजी जावे ।
5. अनुसूचित जाति आश्रम छात्रावास के आश्रमों को सामग्री भिजवाने बाबत् पत्र फरवरी 2011 को भेजा गया था जिस पर कार्यवाही आज दिनांक तक अपेक्षित है । अतः कृत कार्यवाही से 02 दिवस में अवगत कराया जावे ।
6. भौतिक सत्यापन सम्बन्धी जानकारी मात्र 02 संभागों से प्राप्त हुई है। शेष संभागों को दिनांक 10 जुलाई तक रिपोर्ट भेजने हेतु निर्देशित किया गया ।

बिन्दु कमांक 07 :— <u>परियोजना कक्ष सम्बन्धी ।</u>

डॉ बलवान सिंह, परियोजना कक्ष (स्काउट/गाइड) ने परियोजना समबन्धी चर्चा करते हुये अवगत कराया कि प्राप्त राशि उपयोग नहीं होना कार्य में कमी का सूचक है इससे विपरीत प्रभाव की आशंका है । कुछ नये प्रोजेक्ट प्रारंभ करने की जानकारी के पश्चात निम्न बिंदुओं पर भी निर्देश दिये गये ।

1. **बेसिक कोर्स के प्रस्ताव** सत्र 2011—12 हेतु चर्चा की । विदिशा, ग्वालियर, गुना, छिंदवाड़ा, सिवनी, शहडोल, इंदौर, झाबुआ, उज्जैन, रतलाम, भिंड, श्योपुर, होशंगाबाद, हरदा, बैतूल, अशोकनगर छोड़कर अन्य जिलों से प्रस्ताव नहीं आये । अतः वह जानकारी 10 जुलाई तक अनिवार्यतः भेजे ।
2. द्वितीय चरण, तृतीय चरण प्रमाण पत्र का प्रमाण भी सूची के साथ भेजे जावे ।
3. वयस्क प्रशिक्षण—प्राथमिक शाला, मा.शाला सम्बन्धी — प्राईमरी स्तर पर कब—बुलबुल को ज्यादा प्रोत्साहित किया जावे तथा अप्रशिक्षित शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जावे । प्रत्येक जिले में 80 तथा छोटे—छोटे जिलों में 40—40 शिक्षक हो सकते हैं ।
4. रिफ्रेशर कोर्स एवं सांस्कृतिक आदान—प्रदान शिविर आयोजित कर सूचियाँ 15 अगस्त तक भेजी जावे ।
5. स्काउट—गाइड जंबूरी राजस्थान में आयोजित की जा रही है इस सम्बन्ध में तैयारी की जावे ।
6. श्रीलंका में एशिया पैसिफिक जंबूरी होना प्रस्तावित है उस हेतु आवश्यक तैयारी एवं अनुसूचित जाति, आवासीय स्कूल के छात्रों की जानकारी तैयार करे एवं आवासीय आश्रमों को कार्यक्रम से अवगत कराया जावे ।

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com

7. सागर संभाग को द्वारा राज्य शिक्षा केन्द्र की राशि का पूर्ण समायोजन अभी तक नहीं किया गया । अतः 01 सप्ताह में उक्त कार्यवाही करें ।
8. विशेष पिछड़ी जाति सहरिया के 40 कब–बुलबुल दल गठित करने का प्रोजेक्ट ग्वालियर संभाग को दिया जाता है ।

(प्रकाश दिसोरिया)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र

पृष्ठ कमांकं/2524 /समीक्षा बैठक/11 भोपाल दिनांक 02.08.11

प्रतिलिपिः– सूचनार्थ ।

01 माननीय राज्य मुख्य आयुक्त, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।
02 विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।
03 परियोजना संचालक (स्काउट/गाइड), रा.मु., भोपाल म.प्र. ।
04 राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/राज्य प्रशिक्षण आयुक्त (स्काउट/गाइड) रा.मु. भोपाल ।
05 समस्त शाखा प्रभारी राज्य मुख्यालय, भोपाल म.प्र. ।
06 समस्त सहायक राज्य संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड)/जिला संगठन आयुक्त (स्काउट/गाइड) की ओर भेजकर निर्देश है कि बिंदुवार आवश्यक जानकारी/पालन प्रतिवेदन तत्काल भेजे ।

(प्रकाश दिसोरिया)
राज्य सचिव
भारत स्काउट एंव गाइड म.प्र

Document Produced by deskPDF Unregistered :: http://www.docudesk.com